[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–2 एच०एल०ए०

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2026

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) में, "30 जून, 2023 को या से पूर्व" अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "21 जुलाई, 2025 को या से पूर्व" अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में, "एक कैलेण्डर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष की संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 4 का प्रतिस्थापन।

"4. पारिश्रमिक.– (1) पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, 57,700/–रुपए (केवल सतावन हजार और सात सौ रुपए) का समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।

(3) सरकार, अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रतिवर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि अधिसूचित कर सकती है।"।

5. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:– 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की अनुसूची का संशोधन।

"4. ऐसी नीति, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 अधिनियम 16.01.2025 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में, सेवा की सुनिश्चितता का लाभ उन पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक को मिलेगा, जिन्होंने 15 अगस्त, 2024 को या उससे पहले पांच साल की सेवा पूरी कर ली है। हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में कैलेंडर वर्ष के बजाय एक वर्ष की संविदा सेवा की अवधि के दौरान 240 दिनों की गिनती के संबंध में संशोधन का अनुरोध किया है।

यह देखा गया है कि पात्र विस्तार प्राध्यापक की परिभाषा के संबंध में धारा 2 के खंड (ग) में भी संशोधन की आवश्यकता है, जिसके तहत पात्रता प्राप्त करने की तारीख 30 जून, 2023 से बढ़ाकर 21 जुलाई, 2025 कर दी गई है। और, ऐसे पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) के लाभ के संबंध में अधिनियम की धारा 4 में भी संशोधन की आवश्यकता है। इस खंड की भाषा भ्रमित करने वाली है और इसके कई अर्थ हो सकते हैं। इसके अलावा, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम में वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया गया है। इसलिए, यह उचित होगा कि धारा 4 को इस प्रकार संशोधित किया जाए:–

"4. पारिश्रमिक.– (1) पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, 57,700/–रुपए (केवल सतावन हजार और सात सौ रुपए) का समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।

(3) सरकार, अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रतिवर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतन वृद्धि अधिसूचित कर सकती हैं।"।

इसके अलावा, मूल अधिनियम की धारा 4 के लिए अनुसूची में अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता या अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के संबंध में भी संशोधन की आवश्यकता है।

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक एसोसिएशन का अनुरोध वास्तविक है। इसलिए, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक एसोसिएशन द्वारा दिए गए अनुरोध पर ध्यान देते हुए, यह उचित होगा कि 'हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024' में ऊपर बताए गए संशोधन किए जाएं।

अतः ये संशोधन प्रस्तावित है।

महिपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 27 फरवरी, 2026

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 27 फरवरी, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 से उद्धरण

X X X X X

परिभाषाएं	धारा 2 खंड (ग)	(ग) "पात्र विस्तार प्राध्यापक" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, जो राजकीय महाविद्यालय में विस्तार प्राध्यापक के रुप में कार्यरत है और जिसने 30 जून, 2023 को या से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमो के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्हक कर ली है या पी.एच.डी. की योग्यता रखता है;
सेवा की अवधि	धारा 3	प्रत्येक पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा प्रत्येक पात्र अतिथि प्राध्यापक, जिसने नियम तिथि को कम से कम पाँच वर्ष की पूरी सेवा कर ली है, तो वह अधिवर्षिता की आयु पूरी करने तक ऐसे रूप में कार्य करना जारी रखेगा । व्याख्या.– सेवा के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए कार्य किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं होंगे,– (i) जिसने नियत तिथि को अठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; या (ii) जिसकी सेवा नियत तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो अथवा उसे हटा दिया गया हो या जिसने त्याग–पत्र दे दिया हो ।
पारिश्रमिक	धारा 4	कोई पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, प्रति मास 57,700/– रुपए के पारिश्रमिक के साथ–साथ सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से प्रभावी महंगाई भत्ते (डी.ए.) की प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि (गैर–चक्रवृद्धि) का हकदार होगा।
अनुसूची	मद 4	ऐसी नीति जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता या अनुकंपा नियुक्ति के लाभ।

12460—H.V.S.—H.G.P., Pkl.